



राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय राज0 जयपुर

क्रमांक प.2(382 ए)/ओ एण्ड एम/रा.स.प./आ.कृ./2021/6086-6125 दिनांक 22-03-2022

1. आयुक्त, उद्यान विभाग, मुख्यालय।
2. निदेशक, जाग्र0वि0 एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, स्याम/समेती दुर्गापुरा, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि खण्डीय/दुर्गापुरा, जयपुर।
5. उप सचिव, राज0 किसान आयोग, पंत कृषि भवन, जयपुर।

विषय:- भारतीय झण्डा संहिता 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से अनुपालना के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग के पत्रांक एफ 41(7)साप्र/2/2005/पार्ट जयपुर दिनांक 10.02.2022 एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र F.NO. 15/01/2022-Public दिनांक 11.01.2022 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं। कृपया पत्र के निर्देशानुसार भारतीय झण्डा संहिता 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों की कड़ाई से अनुपालना एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराएँ।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

22/3/22
(के0सी0 भीना)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

क्रमांक प.2 (382 ए)/ओ एण्ड एम/रा.स.प./आ.कृ./2021/6086-6125 दिनांक : 22-03-2022
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ट शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग को उनके पत्रांक एफ 41 (7)साप्र/2/2005/पार्ट जयपुर दिनांक 10.02.2022 के क्रम में।
2. निजी सचिव, आयुक्त कृषि एवं पंचायती राज (कृषि), राज0 जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त निदेशक कृषि, मुख्यालय।
4. समस्त कम्पोनेंट प्रभारी, मुख्यालय।
5. उप निदेशक कृषि (सूचना), मुख्यालय।
6. एसीपी (उपनिदेशक), मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. केयर टेकर, मुख्यालय।
8. नोटिस बोर्ड।

22/3/22

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

57017
8/3

क्रमांक: एफ. 41(7)साप्र/2/2005 पार्ट
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलक्टर,
समस्त पुलिस अधीक्षक,
समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डल/आयोग, राजस्थान।

जयपुर, दिनांक 10/02/22

विषय:- भारतीय झण्डा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान
निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से
अनुपालना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई
दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 15/1/2022-पब्लिक, दिनांक 12.01.2022 की
छायाप्रति संलग्न कर निर्देशानुसार निवेदन है कि गृह मंत्रालय के पत्र में उल्लेखित
भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971
में अंतर्विष्ट उपबंधों की कड़ाई से अनुपालना एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित
कराने का श्रम करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

353/02M
08/03/22

भवदीया

(शैली किशनानी)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अवर सचिव, गृह मंत्रालय (पब्लिक अनुभाग), भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-5) विभाग को उनके पत्र क्रमांक प. 9(9)गृह-5/2019 दिनांक 31.01.2022 के क्रम में।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।

विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-5) विभाग

242

क्रमांक: प. 9(9)गृह-5/2019

जयपुर, दिनांक : 31.01.2022

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- भारतीय झण्डा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से अनुपालना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 15/1/2022-पब्लिक दिनांक 12.01.2022 की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त पत्र में वर्णितानुसार भारतीय झण्डा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों की कड़ाई से अनुपालना एवं आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करावे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

- Eo -
(मुकेश पारीक)
शासन उप सचिव,
गृह (सुरक्षा) विभाग

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त पत्र की छायाप्रति निर्देशानुसार संलग्न कर पत्र में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र क्रमांक 15/1/2022-पब्लिक दिनांक 12.01.2022 के कम में सूचनार्थ।

न्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग
शासन सचिव, जयपुर
पत्र संख्या... 233.....
दिनांक 03/02/22.....

(मुकेश पारीक)
शासन उप सचिव,
गृह (सुरक्षा) विभाग

File No. 15/1/2022-Public
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Public Section)

IMMEDIATE
18/1/2022
243

मुख्य सचिव कार्यालय

North Block, New Delhi - 01.
Dated 17/1 January, 2022

To

The Chief Secretaries/ Administrators of
All State Governments / UT Administrations,
Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India.

12 JAN 2022
ग. (7.1-5) विभ
12/1/22

Subject: Strict compliance of the provisions of Flag Code of India, 2002 and the
Prevention of Insults to National Honour Act, 1971- Advisory.

Sir/ Madam,

I am directed to say that the Indian National Flag represents hopes and aspirations of the people of our country and hence should occupy a position of honour. There is universal affection and respect for, and loyalty to, the National flag. Yet, a perceptible lack of awareness is often noticed amongst people as well as organizations/agencies of the Government, in regard to laws, practices and conventions that apply to display of the National Flag. Copy of 'The Prevention of Insults to National Honour Act, 1971' and 'Flag Code of India, 2002' [as amended in 2021], which governs display of National Flag, are available on this Ministry's website www.mha.gov.in.

2. As per para 2.2 (x) of Section-I (Part-II) of the Flag Code of India, the National Flag made of paper may be waved by public on occasions of important national, cultural and sports events. You are requested to ensure that on the occasions of important national, cultural and sports events, Flags made of paper only are used by the public and such paper Flags are not discarded or thrown on the ground after the event. Such Flags are to be disposed of, in private, consistent with the dignity of the Flag.

You are requested to undertake mass awareness programme in this regard and also to give it wide publicity through advertisements in the electronic and print media.

Yours faithfully,

Prem Parkash

(Prem Parkash)

Under Secretary to the Government of India
Tel: 23092421

1/2

54
20
25 GP-5
25/1/22

Copy to:

1. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Vice - President's Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Office of all Governors.
6. Election Commission of India, New Delhi.
7. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
8. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
9. Registrar, Supreme Court of India, New Delhi.
10. Registrar, all High Courts.
11. Office of Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
12. The Union Public Service Commission, New Delhi.
13. Central Vigilance Commission, New Delhi.
14. NITI Aayog, Yojana Bhawan, New Delhi.
15. All attached & Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs.
16. 5 Spare Copies.

Prem Parkash
11/1/01

(Prem Parkash)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 2309 2421

10